क्रमांक / का.शा.–1 / कैंटीन कार्य / डी– 364 दिनांक 31.03.2021

कैन्टीन कार्य (कुशल (हलवाई), अर्द्धकुशल (सहायक हलवाई), अकुशल (हैल्पर) हेतु पुनः निविदा आमंत्रण

(I) सामान्य नियम एवं शर्ते

1. इच्छुक फर्म / ठेकेदार / संस्थान / एजेंसी को अपनी निविदायें सील बन्द लिफाफे में भेजना होगी एवं ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड की जा सकती है। संबंधित जानकारियां निविदा–प्रपत्रों के निर्धारित प्रारूप में देना होगी।

2. लिफाफों के ऊपर **''आउटसोर्सिंग कैन्टीन कार्य की प्रदायगी हेतु निविदा''** अंकित कर उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, म.प्र. लेखा भवन ग्वालियर का पता लिखना होगा । दरे ऑफलाईन निम्नानुसार अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें :–

   (i) प्रथम सील बंद लिफाफा – डिमान्ड ड्राफ्ट

   (ii) द्वितीय सील बंद लिफाफा– वांछित दस्तावेज (पात्र योग्यताऐं)

   (iii) तृतीय सील बन्द लिफाफा– फर्म द्वारा प्रस्तावित दर (प्रतिशत में)

   (iv) चतुर्थ सील बंद लिफाफा– उपरोक्त लिफाफा क्रं. (i) से (iii) तक

   समस्त लिफाफो के ऊपर आवश्यक विवरण जैसे– डिमाण्ड ड्राफ्ट, वांछित दस्तावेज एवं दरो का लिफाफा अंकित करना अनिवार्य है ।

3. फर्म / ठेकेदार / संस्थान / एजेंसी को कैन्टीन कार्य हेतु बयाना राशि के रूप में किसी भी कामर्शियल / राष्ट्रीयकृत बैंक का रू. 50,000 / – (रूपये पचास हजार हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि Pay and Accounts Officer O/o the Pr. A.G. (A&E)-I M.P. Gwalior को देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को डिमान्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति अंतिम तिथि से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वांछित धरोहर राशि के बिना पायी गयी निविदा को अस्वीकार कर दिया जावेगा।

4. ऐसे निविदाकार जो कि ऑफ लाईन निविदा प्रस्तुत करना चाहते है वे इस कार्यालय की बेवसाईट **cag.gov.in/ae/gwalior-i/en** से निविदा प्रारूप डाउनलोड कर, श्री जे.एन. पेरूमल उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, म.प्र. लेखा भवन ग्वालियर–474002 के सचिवालय में स्थापित एवं निर्धारित निविदा बॉक्स में दिनांक 13.04.2021 को अपरान्ह 3:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। विलंब से प्राप्त निविदायें मान्य नहीं की जायेगी।

31/3/21

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)प्रथम
मध्यप्रदेश लेखा भवन ,ग्वालियर

5. प्राप्त निविदाऐं (Online एवं Off Line) दिनांक 15.04.2021 को अपरान्ह 3:00 बजे इच्छुक उपस्थित फर्म / ठेकेदार / संस्थान / एजेंसी के समक्ष खोली जायेगी।

6. सक्षम प्राधिकारी को बिना कारण बतायें किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का एवं निविदा को कम या अधिक दर पर स्वीकृत करने का अधिकार है इसके विरूद्व फर्म / निविदाकार द्वारा कोई भी कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी।

7. फर्म / ठेकेदार / संस्थान / एजेंसी की निविदा में दी गयी जानकारी यदि असत्य पायी जाती है तो उसे कार्यालय द्वारा निविदा की प्रकिया से वंचित किया जावेगा।

8. फर्म / ठेकेदार / संस्थान / एजेंसी लिये गये कार्य को किसी भी रूप में कार्यान्वित करने हेतु किसी अन्य उप संस्थान / उप एजेन्सी / उप ठेकेदार को नही देगा।

9. फर्म / ठेकेदार / संस्थान / एजेंसी को श्रमिको से सम्बधित सभी नियमों एवं अधिनियमों (विधियो), दुर्घटना, कामगार मुआवजा एक्ट, कामगार क्षतिपूरक बीमा ESI, एवं PF आदि नियमों / कानूनों का दृढ़ता से पालन करना होगा। इससे सम्बन्धित किसी भी विवाद होने पर, किसी भी स्तर पर यह कार्यालय एक पक्षकार नही बनेगा। संस्थान की किसी भी अक्षमता के कारण उत्पन्न उत्तरदायित्व के प्रकरण में (किसी भी परिस्थिति में) इस कार्यालय की कोई जवाबदेही (उतर दायित्व) नहीं होगा।

10. पक्षों के बीच पारस्परिक सहमत हुयी दरें ठेके की समयावधि तक लागू रहेगी। दरों का पुनरीक्षण भारत सरकार श्रम मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशो के अनुसार किया जावेगा।

11. कार्यालय द्वारा विभागीय कैन्टीन में कार्य के लिए निर्धारित अवधि हेतु ठेका दिया जाना है (अर्थात प्रारंभिक तौर पर 31 मार्च–2022 तक) लेकिन निर्धारित अवधि से पूर्व भी बिना कारण बतायें अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। सेवायें संतोषजनक होने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है इस संबंध में इस कार्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

12. फर्म / ठेकेदार / संस्थान / एजेंसी द्वारा कामकारों / श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी एक्ट, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत मासिक आज्ञासूचक (आज्ञात्मक) न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी भुगतान नही करेगा।

13. फर्म / ठेकेदार / संस्थान / एजेंसी माह की समाप्ति पर उक्त माह का बिल उसके द्वारा प्रदाय की गयी सेवाओं जिसमें कामगारों / श्रमिको का व्यय भार हो प्रस्तुत करेगा।

14. यह कार्यालय तत्काल प्रभाव से फर्म / ठेकेदार / संस्थान / एजेंसी से उसके किसी भी श्रमिक को बिना कारण बताये कार्यालय भवन से निकालने का अधिकार रखता है।

15. सफल फर्म / ठेकेदार / संस्थान / एजेंसी को अनुंबधित राशि की 10% राशि की एफ.डी. आर. जो कि Pay and Accounts Officer O/o the Pr. A.G. (A&E)-I M.P. Gwalior को देय हो, प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करनी होगी, जो कि कार्य के सन्तोष जनक समाप्ति पर ठेके की समयावधि पश्चात वापिस कर दी जावेगी।

31/3/21
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)प्रथम
मध्यप्रदेश लेखा भवन ,ग्वालियर

16. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को उत्तम चरित्र एवं स्वस्थ तथा पुलिस वेरीफिकेशन किये गये श्रमिकों को कार्य पर प्रतिनियुक्त करना होगा ।

17. विभागीय कैंटीन हेतु हलवाई/सहायक हलवाई पूर्णरूपेण दक्ष होना चाहिए। उन्हें प्रबंधक विभागीय कैंटीन के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

18. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को विभागीय कैंटीन में प्रदाय किये गये हलवाई/सहायक हलवाई/हैल्पर हेतु यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त सभी श्रमिक किसी भी संक्रमित रोग से ग्रसित न हो ।

19. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को विभागीय कैंटीन में प्रदाय किये गये हलवाई/सहायक हलवाई/हैल्पर हेतु यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त सभी श्रमिको के नाखून एवं बाल सलीके से कटे हो एवं स्वच्छता का पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।

20. श्रमिकों को सेवाप्रदाता द्वारा इस कार्यालय द्वारा निर्धारित गणवेश प्रदाय करना अनिवार्य होगा।

21. कार्य का सम्पादन किये जाने के दौरान मानव, मशीनों, उपकरणों और भवन को किसी भी दुर्घटना/हानि से रोकने के लिये, संस्थान को सुरक्षा सम्बन्धी समस्त मानकों/माप दण्डों तथा सावधानियों का पालन करना आवश्यक होगा। इस उपबन्ध की अनदेखी करने या लापरवाही करने की स्थिति में प्रधान महालेखाकार द्वारा सेवाप्रदाता/संस्थान/ठेकेदार के विरूद्ध उचित दण्ड आरोपित किया जायेगा।

(II) पात्र योग्यताऐं :-

1. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी के पास चालू ठेके के लिये मान्य श्रमिक पंजीयन होना चाहिये।

2. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को जी.एस.टी. डिपार्टमेन्ट में पंजीकृत होना अनिवार्य है। (विगत 03 वर्षों की रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना होगी।)

3. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। (विगत तीन वर्षो के चालान संलग्न करना होगा)

4. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी का PAN No. होना अनिवार्य है। (विगत तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

5. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी के पास ख्याति प्राप्त संस्थान विशेषतः शासकीय क्षेत्र/कार्यालय में कर्मचारी संख्या कम से कम 200 हो में संबंधित कार्य करने का कम से कम पॉच वर्षो का अनुभव होना आवश्यक है।

6. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी का सालाना टर्न ओवर 25 लाख से कम न हो इस हेतु विगत तीन वर्षो की बैलेंस शीट की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

7. निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि रू. 50,000/- (रूपए पचास हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।

8. 05 प्रतिशत सर्विस चार्ज (05% Service Charge) से कम सर्विस चार्ज कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा अर्थात 05 प्रतिशत से सर्विस चार्ज कम होने पर उक्त निविदाकर्ता की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

3/3/24
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)प्रथम
मध्यप्रदेश लेखा भवन ,ग्वालियर

9. एक से अधिक सेवा प्रदाता की दरे समान पाई जाती है तो समिति द्वारा जो निर्णय लिया जावेगा वह निर्णय अंतिम होगा तथा उक्त निर्णय को फर्म को मान्य करना होगा एवं उक्त निर्णय के विरूद्व फर्म द्वारा कोई कार्यवाही संस्थित नही की जा सकेगी।

10. स्थानीय फर्म को ही प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

11. राशि रू. 100 के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र लगाया जाना अनिवार्य है।

III. संविदा एजेन्सी के उतरदायित्व

1. ठेके की मान्य अवधि के दौरान कार्यालय स्व विवेक से किसी भी समय पर ठेकेदार द्वारा प्रदत्त किये गये ऐसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को अलग करने या निष्कासित करने हेतु कह सकता है, जो सक्षम न हो अथवा दुर्व्यवहार करें। सेवा प्रदाता इसका पूर्णतः पालन करेगा। सेवा–प्रदाता ऐसे व्यक्तियों को तत्काल बदलना होगा।

2. श्रमिको को सौपे गये कार्यो के प्रति शिष्ट विनम्र, ईमानदार, दक्ष और कुशल होना चाहिए।

3. कैन्टीन से संबंधित कार्यों के लिये यह ठेका नियम व शर्तो के तहत एक निश्चित अवधि के लिये है और सेवा प्रदाता के कर्मचारी द्वारा Industrial Disputes Act-1947 या Contract Labour (Regulation and Abolition Act-1970) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यालय से किसी लाभ/क्षतिपूरक/विलय/सेवाओं के नियमन के सम्बन्ध में दावा नही कर सकेगें। सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय पुलिस द्वारा जांचोपरांत उचित पूर्व की पृष्ठभूमि के साथ उपर्युक्त व्यक्ति का उचित डिप्लायमेंट (तैनात) किया गया है, पहचान के लिए प्रमाण हेतु जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि को एकत्र करें; पिछला कार्य अनुभव, निवास का प्रमाण एवं ऐसे किसी निवेदन के प्राप्त होने पर किसी भी कारणों के लिए कार्यालय द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को उपयुक्त नहीं पाये जाने पर तुरन्त हटाया जावेगा।

4. श्रमिकों को सेवाप्रदाता द्वारा इस कार्यालय द्वारा निर्धारित गणवेश प्रदाय करना अनिवार्य होगा।

5. श्रमिको को शासकीय अवकाश एवं अन्य राजपत्रिक अवकाशों, यदि आवश्यक हुआ तो कार्यालय में कार्य हेतु बुलाया जा सकता है।

आउटसोर्सिंग गति विधियों की शर्त (टर्म ऑफ रिफरेन्स (T O R) फॉर आउट सोर्सिंग

1. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी के समस्त स्टाफ को कार्य के दौरान फोटो युक्त परिचय–पत्र इस कार्यालय द्वारा जारी किये जायेगे, जो कि वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सामान्य अनुभाग–प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित होगे । संस्थान/एजेन्सी/ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि जब कोई श्रमिक अपना कार्य छोड़े अथवा संस्थान/एजेन्सी/फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी उसकी सेवाओं को समाप्त करे, तो इस कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र कार्यालय को वापिस करना आवश्यक है।

2. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों को समय समय पर बनाये गये सांवैधानिक शासकीय नियमों का पालन करना होगा। फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी अपने श्रमिको के अच्छे कदाचार एवं व्यवहार के लिये जिम्मेंदार है। यदि किसी श्रमिको की सेवाऐं समाप्त की जाती है तो उसके लिये फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी का जोखिम एवं उतरदायित्व है। फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी द्वारा उसके श्रमिको को

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)प्रथम
मध्यप्रदेश लेखा भवन, ग्वालियर

यह आवश्यक निर्देश जारी किए जायेगे कि इस कार्यालय के प्रबन्धक/विभागीय कैंटीन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।

3. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी अथवा उसके श्रमिको द्वारा गलत तरीके अथवा असावधानी पूर्वक कार्य किये जाने के कारण कार्यालय भवन को किसी भी तरह की क्षति/छुटपुट चोरी से हुयी हानियों की भरपाई फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी के बिल से वसूली जायेगी। ठेके की अवधि में फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को प्रदाय सभी वस्तुओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

4. किसी भी व्यक्तिगत दुर्घटना के विरूद्व फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को सभी श्रमिको को बीमा के अन्तर्गत ढकना (Cover) चाहिये। यह कार्यालय इसके लिये किसी भी मुआवजे के भुगतान हेतु उतरदायी नही होगा ।

5. फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी को कार्य निष्पादन के दौरान किसी भी दुर्घटना/मानव मशीन तथा भवन की क्षति से बचने के लिये सुरक्षा के सभी मानको मापदण्डों एवं सावधानियो का पालन करना चाहिये। इस उपबंध की अनदेखी करने की स्थिति में प्रधान महालेखाकार द्वारा उचित दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

6. कार्यालय में प्रबन्धक/विभागीय कैंटीन के पास रखे गये रजिस्टर में श्रमिको को आने व जाने के समय सहित उपस्थिति दर्ज करानी होगी एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

7. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधान महालेखाकार का निर्णय अंतिम होगा एवं उक्त निर्णय के विरूद्व फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी द्वारा कोई कार्यवाही संस्थित नही की जा सकेगी।

8. दरें स्वीकार किये जाने के उपरांत अनुबंध किये जाने से पूर्व 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा करनी होगी। जो कि Pay and Accounts Officer O/o the Pr. A.G. (A&E)-I M.P. Gwalior को देय हो, काम प्रदर्शन (निष्पादन) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करनी होगी जो कि कार्य के सन्तोषजनक समाप्ति पर ठेके की समयावधि पश्चात वापिस कर दी जावेगी। शर्तो के अनुपालन न किये जाने की स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकती है।

(V) दो या दो से अधिक फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी की दरें समान प्राप्त होने की स्थिति में निम्न प्रक्रिया के अन्तर्गत सेवा प्रदाता का निर्धारण किया जावेगा।

क्रं.	विवरण	निर्धारित अंक अधिकतम
1.	जी.एस.टी. रिटर्न (विगत 03 वर्षो की स्थिति)	02
2.	ई.पी.एफ. चालान (विगत 03 वर्षो की स्थिति)	01
3.	ई.एस.आई.सी. चालान (विगत 03 वर्षो की स्थिति)	01
4.	आयकर रिटर्न (विगत 03 वर्षो की स्थिति)	01
5.	अनुभव (विगत 05 वर्षो की स्थिति)	02
6.	विगत 03 वर्षो का टर्नओवर (बैलेंस शीट की छायाप्रति)	01
7.	स्थानीय फर्म	02

31/3/21
वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम
मध्यप्रदेश लेखा भवन, ग्वालियर

(VI) भुगतान का तरीका

फर्म / ठेकेदार / संस्थान / एजेंसी द्वारा माह के दौरान प्रदाय किये गये श्रमिकों का बिल कार्यवाही हेतु माह के प्रथम सात कार्यालयीन दिवस तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये तथा कार्यालय फर्म / ठेकेदार / संस्थान / एजेंसी के पक्ष में ई–पेमेन्ट द्वारा भुगतान करेगा। कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। फर्म / ठेकेदार / एजेंसी को भुगतान माहवार किया जायेगा जिसमें आयकर टी.डी.एस. की कटौती एवं अन्य कर की कटौती की जायेगी।

हस्ता / –
(जे.एन.पेरूमल)
उप महालेखाकार (प्रशासन)
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम
म.प्र. ग्वालियर

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)प्रथम
मध्यप्रदेश लेखा भवन ,ग्वालियर

घोषणा

निम्नानुसार घोषणा राशि रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर देनी होगी।

1. यह कि संस्था/फर्म किसी विवाद में सम्बद्व नहीं है जो इस निविदा के अन्तर्गत किसी सेवाओं के प्रदायगी को प्रभावित कर सकता है।
2. यह कि संस्था/फर्म केन्द्रीय/राज्य सरकार/निजी क्षेत्र द्वारा काली सूची बद्व (Black List) नहीं किये गये है।
3. यह कि संस्था/फर्म द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम म.प्र. ग्वालियर द्वारा तय की गयी नियम व शर्ते पढ़ ली है तथा संस्था/फर्म उससे सहमत है।
4. यह कि दो या दो से अधिक फर्म/ठेकेदार/संस्थान/एजेंसी की दरें समान प्राप्त होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जो कि निविदा प्रपत्र के साथ प्रकाशित की गई है से संस्था/फर्म पूर्ण रूप से सहमत है।

(निविदाकार/ठेकेदार के हस्ताक्षर एवं मुद्रा)

दिनांकः– नाम

स्थानः– पदनाम

फर्म/पत्र व्यवहार का पता सील

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)प्रथम
मध्यप्रदेश लेखा भवन ग्वालियर

कैन्टीन कार्य (कुशल (हलवाई), अर्द्धकुशल (सहायक हलवाई), अकुशल (हैल्पर)

1.	फर्म का नाम	
2.	स्थाई पता	
3.	फर्म का पंजीयन नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
4.	जी.एस.टी. नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
5.	आयकर नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
6.	ई.पी.एफ. नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
7.	ई.एस.आई.सी. नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
8.	अनुभव (प्रति संलग्न करें)	
9.	धरोहर राशि का विवरण (संलग्न करें)	
10.	अन्य विवरण यदि कोई हो	
11.	आधार कार्ड (प्रोपराईटर) की छायाप्रति।	
12	मोबाईल नं./टेलीफोन नं.	

दिनांकः–

फर्म प्रभारी के हस्ताक्षर

फर्म का नाम

फर्म की सील

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)प्रथम
मध्यप्रदेश लेखा भवन ,ग्वालियर

कैन्टीन कार्य (कुशल (हलवाई), अर्द्धकुशल (सहायक हलवाई), अकुशल (हैल्पर)
हेतु संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई दरे

प्रस्तावित सेवा प्रभार दर (केवल प्रतिशत में)	
अंको में	
शब्दो में	

दिनांक

फर्म का नाम–

हस्ताक्षरः–

सील–

मोबा नं. / टेलीफोन नं.–

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)प्रथम
मध्यप्रदेश लेखा भवन ,ग्वालियर